

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 24 /10/2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1 द्वारा श्री भगवन सिंह गीड (दरीपता क्रमांक 434) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में वन क्षेत्रपाल क पद पर पदान्वत करते हुए औबेदुल्लाहंज सामान्य वनमण्डल के सुलानपुर सामान्य परिक्षेत्र में पदान्वत किया जाता है।

2/ श्री भगवत् सिंह गौड़ को पट्टानन्ति का लाभ उनको कणिका वर्षा दिवांक ३००.०८ से प्राप्त होंगा किन्तु कायं नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भल्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ दर्दी के लिए जारीकरण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21—तिथि 1994, तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदोषनियम नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश ने साज्य प्रश्नकार ड्रास जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की घार-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का दर्ता कहा जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

କୋର୍କୋକାରୀ

मध्य प्रदेश शासन, दन दिनांक
७/२४/१५ भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

पंक्ति. एफ ३-४९ / २००८ / १०-१.

एतिलिये :-

- 1 विशेष सहायक नाननीय राज्यनन्द्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश रवालियर।
 3 सचिव, न.प्र. लोक संवा जायोग इंडीर।
 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल।
 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश भोपाल को आर उन्हें एक 5304 दिनोंक 24.09.09 व संदर्भ में।
 6 मुख्य वन संरक्षक, भोपाल बृक्ष नोपाल, स0प्र०
 7 वनमण्डलाधिकारी औषधुलालगाज, स0प्र० भोपाल।
 8 श्री भगवत् सिंह-गौड़ छारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II), मध्यप्रदेश भोपाल।
 9 मार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अमंत्रित

E-mail: Dr. Banerjee Banerjee@math.tufts.edu

अवर संभिय

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

卷之三

2022. 9월 23일

-2-

କାନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କର ଲାଗୁ
ଫୋର୍ମ, ଓଡ଼ିଶା

ଶ୍ରୀ କମଳାକାର / ସହାଯତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଜାର୍ଦ୍ଦିଆ / ୫୭୬୭ ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୨୩ ୦୦୩
ପରିଚିତିକାରୀ

କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁ ହୁଏ ଅବାଳେ ଏହି
ଆମ ଉଚନାଥ ଏବଂ ଶାରଦିମୁଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେତୁ ଅବାଳେ

ଶ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ-ପରିଚିତିକାରୀ କରିବାର
ଫୋର୍ମ, ଓଡ଼ିଶା
R.
୨୩/୧୦

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ५ अगस्त, 2009

क्रमांक एफ ३-४९/२००८/१०-१: विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक १६.०७.०८ के संदर्भ तारीख के आधार पर दिनांक १५.०६.०९ को आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में उपयुक्त पाये जाने पर निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये ५५००-१७५-९००० (Pre-Revised) में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल के पद पर उनके नाम के समुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभार से पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थिति	प्रस्तावित पदस्थिति
१.	श्री गुलाब सिंह बामने ST ३८७	इन्दौर वृत्त ११२१५९	प०३० आवलिया सा० खण्डवा सा०व०म०
२.	श्री नरेश कुमार नामदेव	शहडोल वृत्त	प०३० गोदावल सा० ऊशहडोल सा०व०म०
३.	श्री दामोदर प्रसाद जाट ५१३	इन्दौर वृत्त	प०३० शाजापुर सा० शाजापुर सा०व०म०
४.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	इन्दौर वृत्त	प०३० उमराली सा० झाबुआ सा०व०म०
५.	श्री राजभारती गोस्वामी	उज्जैन वृत्त	प०३० पीपरी उत्पाठ देवास उत्पाठ व०म०
६.	श्री शैलेन्द्र कुमार पाल ६३४	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)

२/ उपरोक्त उप वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक ३०/७/०८ अथवा २६/२/०९ जैसी भी स्थिति हो, से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

३/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम २००२ के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

४/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए औरक्षण) अधिनियम १९९४ (क्रमांक २१-सन् १९९४) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, २००२ के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया हैं तथा उसे (नियोक्ता का) उक्त अधिनियम की धारा-६ के उपधारा(१) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदान्तरि पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कोकोकारिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन.विभाग

पृष्ठ. एफ 3-49 / 2008 / 10-1,

५६१४० मोपाल, दिनांक ५ अगस्त, 2009

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 2 सचिव, मे.प्र. लोक सेका आयोग, इंदौर।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, मोपाल।
- 4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-2) मध्यप्रदेश, मोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3979 दिनांक 22.07.09 के संदर्भ में।
- 5 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 6 संबंधित मुख्य वन संरक्षक, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 7 संबंधित वनमण्डलाधिकारी।
- 8 संबंधित कर्मचारी, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-2) मध्यप्रदेश, मोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जो पभीप | वनभौद्यप्रदेश

an

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

५६१४०

कामलिय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

म०५०, मोपाल-

मृ. कमांड/एवा. द/एवा/व.क्षे.क्षा. ५३२५ मोपाल, R 6.८.०९

प्राप्तिलिपि - १. मुख्य वन संरक्षक इन्डौर/पट्टद्वारा/वाराण्सी/उज्ज्वा. म.प.

२. संदर्भ प.न. पा. कि. पा. कोपाल।

वे जोर छुचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
कर लिये हैं, जिसके लिये वन शोलायाल जा रहा है वितानीत
कर लिये जाएं।

F:\Vijay\Order\Order.doc

५६१४०, मोपाल, ०६.०८.०९

पति. मायर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-2)
म०५०, मोपाल,

७

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

६३५

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ५ / ८ / 2009

क्रमांक एफ ३-४९/२००८/१०-१: राज्य शासन द्वारा श्री सुधाकर शुक्ला (वरीयता क्रमांक ६२१) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये ५५००-१७५-९००० (Pre-Revised) में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए प०अं० होशंगाबाद सा० होशंगाबाद सा०व०म० में पदस्थ किया जाता है।

२/ श्री सुधाकर शुक्ला को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक ००.०७.०८ से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

३/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम २००२ के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

४/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, १९९४) क्रमांक २१-सन्१९९४) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, २००२ के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-६ की उपधारा(१) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कारिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

FAVijay Order/Order No. 728



अमर प्रधान मुख्य वन सचिव (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पू०क. एफ 3-49 / 2008 / 10-1,

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, गवालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3927 दिनांक 17.07.09 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद, म0प्र0
- 7 वनमण्डलाधिकारी होशंगाबाद, म0प्र0
- 8 श्री सुधाकर शुक्ला, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

(7)

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 04 अगस्त, 2009

क्रमांक एफ ३-५१/२००६/१०-१: माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों की वरीयता पुनः निर्धारित की गई है :—

I. आदेश क्रमांक/क्षेत्रीय/स्था.-1/ 87 दिनांक 31.01.2009 द्वारा :-

- 1) श्री जे०एस० परिहार,
- 2) श्री एम०एल०सोनी,
- 3) श्री समानक खान,
- 4) श्री अशोक कुमार भदौरिया,
- 5) श्री ओ०पी०श्रीवास्तव,
- 6) श्री प्रकाश मिश्रा,
- 7) श्री व्ही०के०जैन,
- 8) श्री वाई०एस०बघेल
- 9) श्री व्ही०के०सक्सेना

II. आदेश क्रमांक/क्षेत्रीय/स्था.-1/ 241 दिनांक 17.03.2009 द्वारा :-

श्री अमर सिंह ठाकुर

2/ वर्ष 2006 में दिनांक 23.12.06 को उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हुई थी और योग्य पाए गए अधिकारियों के पदोन्नति आदेश दिनांक 06.01.07 को जारी हुए थे। पुनः वरिष्ठता निर्धारण की स्थिति में इस आदेश दिनांक 06.01.07 में उप वनक्षेत्रपालों से कनिष्ठ पदोन्नत हो चुके हैं। अतः दिनांक 23.12.06 की संदर्भ तारीख के आधार पर दिनांक 15.06.09 को रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति के योग्य पाया गया :—

- 1) श्री एम०एल०सोनी,
- 2) श्री अशोक कुमार भदौरिया
- 3) श्री ओ०पी०श्रीवास्तव,
- 4) श्री व्ही०के०जैन,
- 5) श्री वाई०एस०बघेल
- 6) श्री व्ही०के०सक्सेना
- 7) श्री अमर सिंह ठाकुर

3/ उक्त में से प्रथम चार अर्थात् श्री एम०एल०सोनी 30.07.08, श्री अशोक कुमार भदौरिया 20.02.08, श्री ओ०पी०श्रीवास्तव 30.07.08 एवं श्री व्ही०के०जैन 30.07.08, को पदोन्नत हो चुके हैं। अतः इन्हें इनसे कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 06.01.07 से पदोन्नति प्रदान की जाती है किन्तु 06.01.07 से इन्हें वास्तविक पदोन्नति की तिथि तक की अवधि का कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत के आधार पर वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4/ चयनित शेष निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपाल के पद पर येतनमान ३
 5500-175-9000 (Pre-Revised) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदोन्नत करते हुए उनके नी
 के सामने अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र०	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थिति	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थिति
1.	श्री वाई०एस०बघेल	जबलपुर वृत्त	प०अ० अजयगढ़ सा० उ० पन्ना सा०व.म०
2.	श्री व्ही०क००सक्सेना	सिवनी वृत्त	प०अ० वनखेड़ी सा० होशंगाबाद सा०व०म०
3.	श्री अमर सिंह ठाकुर	जबलपुर वृत्त	प०अ० मोहन्द्वा सा० द० पन्ना सा०व०म०

5/ उक्त पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 06.01.07 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत के आधार पर पूर्व अवधि के वेतन-भंते की पात्रता नहीं होगी।
 6/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) विधाय 2002 द्वे

मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त 3 नियम की पारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत कराते।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशनुसार

~~(कै0के0का0रुजार)~~

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भौपाल, दिनांक 04 अगस्त 2009

पृष्ठा. एफ 3-51 / 2006 / 10-1

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 2 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3927 दिनांक
 5 17.07.09 के संदर्भ में।
 6 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
 7 संबंधित मुख्य वन संरक्षक, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।
 8 संबंधित वनमण्डलाधिकारी।
 9 संबंधित कर्मचारी, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारित।

~~5174;14 | 95:1943, 201.~~

अवर संचिय ३१
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

F:\Vijay\Order\Order.doc

कामालदा प्रधान गुरुवा का रुपरेता, ५०९०, गोप्ता.
 श्रीमांडि/भट्टा. स/ (वा/वा. श). अंग्रे ४३२६ गोपाल R. 6.8.७७
 एसिनियर-मुख्य मन्त्री सह संसद् दायरा काठ/दिल्ली/अब्दलपुर/तिक्का
 व आगे दूसरी ओर आवश्यक कामियाडी देखा गया।

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 01/08/2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1: राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल के पद पर उनके नाम के समुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभार से पदस्थि किया जाता है :-

क्र०	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थिति	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थिति
1.	श्री जे०एन०वर्मा	खण्डवा वृत्त	प०अ० खकनार सा० बुरहानपुर सा०व०म०
2.	श्री निर्मल दास लोमास	जबलपुर वृत्त 516	प०अ०बडवारा उत्पा० कटनी सा०व०म० (1)
3.	श्री रघुबीर प्रसाद गायकवाड़	जबलपुर वृत्त 2510149	प०अ० मगरधा उत्पा० हरदा उत्पादन व०म०
4.	श्री जगतलाल चौधरी	जबलपुर वृत्त 2215	प०अ०पन्ना सा० उ०पन्ना सा०व०म० 560
5.	श्री भागवंद झारिया	जबलपुर वृत्त 1179	प०अ०बोरपानी उत्पा० हरदा उत्पा० व०म०
6.	श्री जुगल किशोर झारिया	जबलपुर वृत्त 20112	प०अ०शाहपुर उत्पा० बैतूल उत्पा०व०म०
7.	श्री गुलाबचंद चौधरी	जबलपुर वृत्त 566 213152	काष्ठगार अधिकारी बरगाँ डिपो पूर्व सीधी सा०व०म०
8.	श्री रामदयाल सोनकर	रीवा वृत्त 11162	प०अ०अतरैला सा० रीवा सा०व०म० (2)
9.	श्री घूडनलाल दरवाड़	बालाधाट वृत्त 588 2017152	प०अ० उत्तर उक्ता सा० उ०बालाधाट सा०व०म०
10.	श्री बाबूलाल समर	शिवपुरी वृत्त 524 21152	प०अ० मुरैना, सा० मुरैना, सा०व०म०
11.	श्री विजय सिंह नरवरिया	शिवपुरी वृत्त 597	प०अ०आरोन सा० गुना सा०व०म० 2/8/61 (3)
12.	श्री कन्हैयालाल परमार	उज्जैन वृत्त 623	प०अ०फतेहगढ़ सा० गुना सा०व०म० 115157 (4)
13.	श्री भेरुलाल बगाना	उज्जैन वृत्त 624	प०अ०रामपुरा सा० नीमच सा०व०म० 115158 (5)
14.	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	उज्जैन वृत्त 625	प०अ०बरला सा० सेंधवा सा०व०म० 115159 (6)
15.	श्री पीरुलाल परिहार	खण्डवा वृत्त 627	प०अ०प० कालीभीत उत्पा० खण्डवा उत्पा० व०म० 317/53 (7)
16.	श्री अशोक कुमार खेतडिया	उज्जैन वृत्त 628	प०अ० टेमागाँव सा० हरदा सा०व०म० 3/8/59 (8)
17.	श्री मधुसूदन नगपुरे	बालाधाट वृत्त 636	प०अ० डोगरगाँव सा० नरसिंहपुर सा०व०म० 27/6/54
18.	श्री कालूराम मालवीया	भोपाल वृत्त 660	राज्यस्तरीय उडनदस्ता भोपाल वृत्त 1/6/52
19.	श्री कालूराम मनाग्रे	खण्डवा वृत्त 698	प०अ०मण्डलेश्वर सा० बडवाहा सा०व०म० 20/5/54
20.	श्री काशीराम वर्मा	खण्डवा वृत्त 699	प०अ०राजपुर सा० बडवानी सा०द०म० 111150

प्रिया
F:\Vijay\Order\Order.doc

न. ११५०१ | गोपनीय

मध्य प्रदेश मुख्य वन संरक्षण (प्रश्ना-प्र०)
मध्यप्रदेश, भोपाल



8/19/09

--2

1/ उपरोक्त उप वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30/7/08 अथवा 26/2/09 जैसी भी स्थिति हो, से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछंडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21—सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 के उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0के0कालिया) १।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 01/08/2009

पृष्ठ. एफ 3-49 / 2008 / 10-1.

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखिकार, मध्यप्रदेश, राज्यालियर।
- 2 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3979 दिनांक 22.07.09 के संदर्भ में।
- 5 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 6 संबंधित मुख्य वन संरक्षक, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।
- 7 संबंधित वनमण्डलाधिकारी।
- 8 संबंधित कर्मचारी, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

५६५५
ना० ८-०९।

A.D.M.I

२०८८

P.C.66

११४४

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

720/07

भोपाल, दिनांक 1 / 8/2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री विष्णु कुमार शर्मा (वरीयता क्रमांक 720) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए प०अ० करेरा झामान्य शिवपुरी सा०व०म० में पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री विष्णु कुमार शर्मा को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-संन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कातिया)

अवर सुनिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग



पृ०क. एफ 3-49 / 2008 / 10-1.

भोपाल, दिनांक 18/2009

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3927 दिनांक 17.07.09 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी, म0प्र0
- 7 वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी, म0प्र0
- 8 श्री विष्णु कुमार शर्मा, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 18/9
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रियानन्द

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /८ / ०६/२००९

क्रमांक एफ ३-४९/२००८/१०-१, राज्य शासन द्वारा श्री रेवाराम वर्मा (वरीयता क्रमांक ३२४) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये ५५००-१७५-९००० में वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए वन परिक्षेत्र खरगौन (सामान्य) में पदस्थ किया जाता है।

२- श्री रेवाराम वर्मा को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक ३०.०७.०८ से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

३- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम २००२ के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति को प्रविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

४- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१-सन् १९९४) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, २००२ के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-६ की उपधारा(१) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कातिया) १०/०९/०९
अवर सचिव

१०/०९/०९ मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठा. एफ 3-49 / 2008 / 10-1,

भोपाल, दिनांक १८ / ०६ / २००९

प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
 - 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 - 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 - 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क. 688 दिनांक 24.09.08 के संदर्भ में।
 - 6 मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा, म0प्र0
 - 7 वनमण्डलाधिकारी खरगौन, म0प्र0
 - 8 ✓ श्री रेवाराम वर्मा, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

Jan 1
1896

कायांलिय

उपर प्रधान मुख्य बन सारक्षज (प्रश्ना-II)
मात्यप्रदेश, भास्तव

ପ୍ରକାଶ- / ୨-୨୧୦ / ନିମ୍ନଲିଖିତ (୨୩୧୧-୫) /

पुरिलिपि -

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

~~मुख्य वन संसाधन विभाग का श. न. की ओर से लिखा गया~~
~~कानूनी दस्तावेज़ | मुख्य सेवाएँ वन मंत्रालय~~
~~का दस्तावेज़ को कहा जाता है।~~

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 18 / 06 / 2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री भगवत् प्रसाद तिवारी (वरीयता क्रमांक 197) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए वन परिक्षेत्र अमानगंज (सामान्य) में पदस्थ किया जाता है।

2- श्री भगवत् प्रसाद तिवारी को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कोकोकातिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

186

पृष्ठ. एफ 3-49 / 2008 / 10-1,

भोपाल, दिनांक 8/ 06/ 2009

प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क. 851 दिनांक 29.11.08 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त छतरपुर, म0प्र0
- 7 वनमण्डलाधिकारी पन्ना, म0प्र0
- ✓ 8 श्री भगवत प्रसाद तिवारी, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित।

अवर सचिव ८/६/०९
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

०१४६

कार्यालय
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठ. ३४०/प्रशा. ७२०-II/क.क।
उत्तिलिपि -

भोपाल दिनांक

मुख्य वन संरक्षक २५.१२.०८ ई. क. की ३४२
कृपया इन अपर कार्यालय की हेतु अग्रेसित। कृपया
अग्रेसित वन ऐवरिन्स का जाकेस का छाते उपलब्ध कार्य
की जांच करें।

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 28 / 02 / 2009

क्रमांक एफ ३-४९/२००८/१०-१, राज्य शासन द्वारा श्री राजाराम वर्मा (वरीयता क्रमांक 394) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इन्दौर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

2- श्री राजाराम वर्मा की वरिष्ठता उनसे कनिष्ठ श्री लाल सिंह भूरिया (वरीयता क्र. 395) के ऊपर ऊपर रहेग।

3- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कातिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठ. एफ 3-49 / 2008 / 10-1,

भोपाल, दिनांक 28/ 02/ 2009

प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र. 68 दिनांक 30-1-09 के संदर्भ में।
- 6 संचालक ऑकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण इन्दौर।
- 7 श्री राजाराम वर्मा, द्वारा— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 8 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

५२५५७

कार्यालय

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-भारज),
भोपाल (म.प्र.)

सू.क्र० शोपनीप । १२५७

— भोपाल दिनांक 28/02/09

- अतिलिपि:- ① सदस्य (प्रभालक्षण एवं वन) नमदा धाटी विकालक एवं उद्यान, नर्मदा नदी अभियान
- ② संचालक ऑकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा धाटी विकालक एवं उद्यान, नर्मदा नदी अभियान इन्दौर महाल की ओर भूजनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भोगीपुरा
- ③ मुख्यवन (उपर्युक्त उत्तराधिकारी की ओर भूजनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भोगीपुरा)
- ④ वन माननीय विकालक (ला) उत्तराधिकारी की ओर भूजनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भोगीपुरा
- ⑤ उत्तराधिकारी की ओर भूजनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भोगीपुरा

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रलय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक २६/०२/२००९

क्रमांक एफ ३-४९/२००८/१०-१; राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये ५५००-१७५-९००० में पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल/ परिक्षेत्राधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थि किया जाता है:-

अ.क्र.	उप वन क्षेत्रपाल का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थिति	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	यदुवंश प्रसाद मिश्रा - ✓५५५	रीवा वृत्त	प.अ.बैठन सा. पूर्व सीधी सा.व.म.
2.	आर.पी.श्रीवास्तव - ✓५५७	शिवपुरी वृत्त	प.अ.शिवपुरी सा. शिवपुरी सा.व.म. /५५८
3.	श्याम बहादुर सिंह ✓५५८	सिवनी वृत्त	विशेष कर्तव्य, सिवनी वृत्त
4.	पूरन सिंह चौहान - ✓५६५	बैतूल वृत्त	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त २०-१२-५५*
5.	जे.एस.प्रजापति ✓५६७	भोपाल वृत्त	प.अ.लाडकुई सा., सीहोर सा.व.म.
6.	जे.एस.सौलकी ✓५६९	भोपाल वृत्त	प.अ.पूर्व सिलवानी सा., रामसन सा.व.म.
7.	श्रीमति रेखा काले, ✓५७२	इन्दौर वृत्त	विशेष कर्तव्य, इन्दौर वृत्त
8.	खुशीद अहमद, ✓५७४	इन्दौर वृत्त	प.अ.मकसूदनगढ़ सा., गुना सा.व.म.
9.	सुभाष साकल्ले ✓५७५	इन्दौर वृत्त	विशेष कर्तव्य, देवास सा.व.म.
10.	भेरुसिंह चौहान, ✓५७६	इन्दौर वृत्त	विशेष कर्तव्य, खण्डवा वृत्त
11.	लछिन्द्र बीशी ✓५७७	बैतूल वृत्त	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त २०-१२-५५*
12.	रतिराम परते ✓५७८	भोपाल वृत्त	प.अ.पिपरिया सा., होशंगाबाद सा.व.म.
13.	करन सिंह नागवंशी ५८१	भोपाल वृत्त	व.वि.अ.भोपाल, अनु.विस्तार भोपाल
14.	किसन लाल इक्के ५८२	भोपाल वृत्त	विशेष कर्तव्य, ग्वालियर वृत्त
15.	सुरज सिंह माँगिया ५८३	भोपाल वृत्त	वन वि.अ.खुराई, अनु.वि.सागर
16.	सूरज लाल बिसेन, ✓५८४	छिंदवाडा वृत्त	विशेष कर्तव्य, सिवनी वृत्त

अ.क्र.	उप वन क्षेत्रपाल का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थिति	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
17.	भरत लाल पन्डे 590	बालाघाट वृत्त	व.क्षे.महाविद्यालय, बालाघाट
18.	आई.बी.सिंह, 591 ✓	जबलपुर वृत्त	प.अ.गौरज्ञामर सा., द.सागर सा.व.मं.
19.	देवराज मिश्रा, 593 ✓	जबलपुर वृत्त	प.अ.प.करंजिया सा., डिण्डोरी सा.व.मं.
20.	झी.के.मानिकपुरी, 594	जबलपुर वृत्त	प.अ.केवलारी उत्पा., द.सिवनी उत्पा.व.मं.
21.	जितेन्द्र नाथ तिवारी, 595	जबलपुर वृत्त	प.अ.सिंग्रामपुर सा., दमोह सा.व.मं.
22.	हीरामणि शर्मा, 596	जबलपुर वृत्त	वनविद्यालय लखनादौन, सिवनी वृत्त
23.	कोमल सिंह गौड़ 597	सागर वृत्त 2011/61	विशेष कर्तव्य, दमोह सा.व.मं.
24.	धीर सिंह गौड़ 598	ग्वालियर वृत्त	विशेष कर्तव्य, ग्वालियर वृत्त
25.	सोमनाथ शर्मा 599	खण्डवा वृत्त	प.अ.बलवाडा सा., बड़वाहा सा.व.मं.
26.	राजू गौड़ 600	ग्वालियर वृत्त 2011/62	प.अ.बड़ौदा सा., श्योपुर सा.व.मं.
27.	आर.पी.खरे, 601 ✓ 607	छिंदवाडा वृत्त 2011/63	प.अ.बिछुआ उत्पा., प.छिंदवाडा उत्पा.व.मं.
28.	गनपतपुरी गोस्वामी 608	छिंदवाडा वृत्त 2011/64	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त
29.	आर.पी.जैन 609	छिंदवाडा वृत्त 2011/65	सहा.अनुदेशक, वन विद्यालय पचमढी
30.	आर.बी.शुक्ला 610	जबलपुर वृत्त	प.अ.तेंदूखेडा सा., दमोह सा.व.मं.
31.	जे.आर.जोशी 612	न.धा.वि.प्रा.	न.धा.वि.प्रा., (प्रतिनियुक्ति)
32.	अविनाश सिंह धालीवाल 613	उज्जैन वृत्त	विशेष कर्तव्य, ग्वालियर वृत्त
33.	नवसे राम कवरेती 614	छिंदवाडा वृत्त	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त
34.	समरजीत चंदेल 615	सिवड्डी वृत्त	प.अ.घंसौर सा., उ.सिवनी सा.व.मं.
35.	राजेन्द्र सिंह सोलंकी 616	खण्डवा वृत्त	प.अ.भीकनगाँव सा., खरगोन सा.व.मं.
36.	हरिमान सिंह पोर्ट 617	शहडोल वृत्त	विशेष कर्तव्य, शहडोल वृत्त
37.	नन्दराम कुमरे 618	छिंदवाडा वृत्त	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त
38.	घनश्याम सिंह जादोन 619	शिवपुरी वृत्त	व.वि.अ.ग्वालियर, अनु.विस्तार ग्वालियर
39.	हरिश चन्द्र भगत 620 ✓	छिंदवाडा वृत्त	विशेष कर्तव्य, छिंदवाडा वृत्त
40.	जय नारायण तिवारी 621	जबलपुर वृत्त	विशेष कर्तव्य, सागर वृत्त
41.	देवेन्द्र कुमार विवेदी 622	रीवा वृत्त	विशेष कर्तव्य, रीवा वृत्त

मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और प्रन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा 105

नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के. कालिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठ एफ 3-49/2008/10-1

भोपाल, दिनांक २६ /०२/ 2009

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सचिव मा० राज्य मंत्रीजी, (स्वतंत्र प्रभार) वन विभाग म०प्र० शासन।
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्य प्रदेश भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म. प्र. भोपाल, क. स्था/गोप/प्रशा-2/1036 दि० १९-२-०९ के संदर्भ में।
6. सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
8. समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
9. संबंधित वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।
10. संबंधित वन मण्डलाधिकारी, मध्य प्रदेश।
11. संयुक्त संचालक, जन संपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रलय वल्लभ भवन, भोपाल।
12. संबंधित कर्मचारी द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) म० प्र० भोपाल।
13. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

